जिला कलक्टर
आदेश हेतु

अपील सूचना अधिकार संख्या 16/2018 सुभाष गोयल पुत्र श्री रामकुमार गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09–05–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुभाष गोयल के अभिभाषक उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस दिनांक 30.04.2018 को सुनी जा चुकी है एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन था कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 12.01.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवंम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण, पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर को प्रस्तुत कर 3 बिन्दुओ पर सूचनाए चाही थी जो उसे जानबूझकर लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि मे उपलब्ध नही करवाई गई है इसलिए लोक सूचना अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तहत दण्डित किया जावे और वांछित सूचनाए उपलब्ध करवाई जावे।

मैने अपीलार्थी के सुयोग्य अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर से सूचनाए प्राप्त करने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2018 का प्रस्तुत करना बताया है वह दिनांक 12.01.2018 का न होकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये डाक विवरण पत्र के अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2018 का है जो लोक सूचना अधिकारी एवंम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर को 15.02.2018 को प्राप्त होना पाया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र 12.02.2018 से निम्न सूचनाए चाही थी:–

1. पत्र क्रमांक एस डी एफ/गंगा/उपखण्ड स्तर बैठक/सतर्कता/पी ए/2013/400 दिनांक 24.04.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि (कार्यालय अध्यक्ष पदेन उपखण्ड स्तरीय सर्तकता समिति एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर)
2. पत्र क्रमांक 3162 दिनांक 19.12.2017 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्र क्रमांक 3162 दिनांक 19.12.2017 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर की पत्रावली की नोटशीट की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3593 दिनांक 09.04.2018 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 2 व 3 द्वारा चाही गई सूचनाए पत्र सं0 3509 दिनांक 21.03.2018 के द्वारा पंजीकृत डाक से उपलब्ध करवा दी गई है। और बिन्दु संख्या 1 की सूचना की सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध नही करवाई जा सकी जो पत्रावली तलाश कर 20 दिवस में सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र सं	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
1.	पत्र क्रमांक एसडीएम/गंगा/उपखण्ड स्तरीय बैठक/सतर्कता/पीए/2013/400 दिनांक 24.04.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि (कार्यालयें अध्यक्ष पदेन उपखण्ड स्तरीय सर्तकता समिति एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर)	वांछित सूचना से संबधित पत्रावली तलाश की गई, पत्रावली उपलब्ध नही हुई है। शीघ्र ही तलाश कर सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।
2.	पत्रं क्रमांक 3162 दिनांक 19.12.2017 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि	वांछित पत्र की फोटो प्रति सलंग्न है।
3.	पत्र क्रमांक 3162 दिनांक 19.12.2017 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर की पत्रावली की नोटशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि	नोट शीट नही लिखी गई है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा उक्तानुसार बिन्दु सं0 2 से 3 की सूचनाए अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है बिन्दु सं0 1 की सूचना सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध नही करवाई गई है

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, इसलिए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया उत्तर पत्र सं0 3509 दिनांक 21.03.2018 सही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसे विभाग द्वारा भेजी गई कोई सूचना प्राप्त नही हुई है जबकि लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (एसडीएम), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचनाए भिजवाये जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनांक 09.04.2018 प्रस्तुत किया है इसलिये लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2018 से प्रेषित की गई सूचनाए पुनः रजिस्टर डाक से अपीलार्थी को भिजवाई जावे एवंम बिन्दु संख्या 1 से सम्बन्धित सूचना की पत्रावली तलाश कर सम्बन्धित सूचना आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की एक प्रति अपीलार्थी व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर